



डॉ० अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.11.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

थाना – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़

तारीख – 20.11.2025

➡ ☐ वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/पुरस्कार घोषित/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस टीम को आज एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसमें थाने के शातिर हिस्ट्रीशीटर एवं वांछित 25000 रुपए का इनामियां अभियुक्त फकरे आलम उर्फ फकरू को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया।

➡ ☐ अभियुक्त के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ व जनपद जौनपुर सहित कई अन्य जनपदों में चोरी, गोवध, गैंगस्टर सहित कई अन्य मामलों में 16 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

➡ ☐ अभियुक्त थाना जीयनपुर का गैंगस्टर एक्ट में वांछित, हिस्ट्रीशीटर व ₹25000 इनामिया अभियुक्त है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 20.11.2025 को थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं अपराधियों की तलाश की जा रही थी कि इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना जीयनपुर का ₹25000 इनामियां, हिस्ट्रीशीटर एवं शातिर अपराधी फकरे आलम उर्फ फकरू अपने एक साथी अमजद उर्फ भुचल्ला के साथ अवैध असलहे के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में सिल्वर रंग की मोटरसाइकिल से जीयनपुर की ओर आ रहा है। सूचना की सत्यता पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम मुखबिर की निशानदेही पर केशवपुर जंगल तिराहा पर चेकिंग हेतु मुस्तैद हो गई। कुछ समय पश्चात दो व्यक्तियों की मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा करने पर दोनों अभियुक्त भागने लगे और घबराहट में मोटरसाइकिल सहित गिर पड़े। गिरते ही अभियुक्तों में से एक ने जोर से ललकारकर अपने साथी को पुलिस टीम पर फायर करने के लिए उकसाया। उसी दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा सीमित एवं नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश फकरे आलम के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा जबकि उसका साथी अमजद उर्फ भुचल्ला मौके से फरार हो गया। घायल अपराधी को पुलिस टीम द्वारा प्राथमिक उपचार देते हुए जिला अस्पताल भेजा गया।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. फकरे आलम उर्फ फकरू पुत्र बदरुद्दीन, निवासी – कुरैशनगर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र – लगभग 45 वर्ष।

फरार अभियुक्त-

01. अमजद उर्फ भुचल्ला पुत्र अच्छन उर्फ बच्चन उर्फ बाबू खान, निवासी खालिसपुर, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

➡ ☐ आपराधिक इतिहास-

फकरे आलम उर्फ फकरू पुत्र बदरुद्दीन निवासी कुरैशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़। (25000 रुपए का इनामिया)

01. मु०अ०सं० 258/2025, धारा 3/5/8 गो०नि० अधि०जीयनपुर आजमगढ़।
02. मु०अ०सं० 94/2019, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट जीयनपुर आजमगढ़
03. मु०अ०सं० 271/2021, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट जीयनपुर आजमगढ़।
04. मु०अ०सं० 137/2023, धारा 3/25 आयुध अधि० जीयनपुर आजमगढ़
05. मु०अ०सं० 170/2013, धारा 5/8 गो हत्या नि० अधि० जीयनपुर आजमगढ़
06. मु०अ०सं० 364/2024, धारा 303(2) बीएनएस केराकत जौनपुर
07. मु०अ०सं० 114/2018, धारा 3/5/8 गो०नि० अधि० जीयनपुर आजमगढ़
08. मु०अ०सं० 115/2018, धारा 4/25 आयुध अधि० जीयनपुर आजमगढ़
09. मु०अ०सं० 603/2024, धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317 (5) बीएनएस कोतवाली आजमगढ़
10. मु०अ०सं० 605/2024, धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317 (5) बीएनएस कोतवाली आजमगढ़
11. मु०अ०सं० 395/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस गम्भीरपुर आजमगढ़।
12. मु०अ०सं० 423/2024, धारा 305/317(2) बीएनएस सिधारी आजमगढ़
13. मु०अ०सं० 291/2024, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस देवगांव आजमगढ़
14. मु०अ०सं० 338/2024, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस ,देवगांव आजमगढ़
15. मु०अ०सं० 246/2016, धारा 419/420/467/468 भादवि व 3/5/8 गो०नि० अधि० मुबाकपुर आजमगढ़
16. मु०अ०सं० 379/2024 , धारा 115(2), 117(2), 118(1), 303(2), 333 बीएनएस केराकत जौनपुर।

बरामदगी-

- 1 ☐ 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर
- 2 ☐ 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
- 3 ☐ 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर (फायरशुदा)
- 4 ☐ 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस (सिल्वर) बिना नंबर प्लेट
5. ₹1500/- नकद।

➡ ☐ मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र बहादुर सिंह, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
02. व0उ0नि0 श्री परमात्मा मिश्रा
03. उ0नि0 श्री अजय यादव
04. उ0नि0 श्री जाफर खान
05. उ0नि0 श्री अमित कुमार वर्मा
06. का0 प्रदुम्न यादव
07. का0 हरिकिशन मौर्या
08. का0 शुभम तिवारी
09. का0 अक्षय प्रसाद
10. का0 अवधेश कुशवाहा
11. का0 अजय पाठक
12. का0 रानू सैनी
13. का0 बृजेश यादव